

समाहरणालय—लातेहार

(समाजिक सुरक्षा कोषांग)

पत्र संख्या 54 /

प्रेषक,

कमल किशोर सोन,भा.प्र.से.
उपायुक्त, लातेहार।

सेवा में,

निदेशक,
सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग,
झारखण्ड सरकार, राँची।

लातेहार, दिनांक .22.8.2006

विषय:— निविदा प्रकाशन के सम्बंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक राँची से प्रकाशित होने वाले दैनिक समाचार पत्र तथा दैनिक हिन्दुस्तान, प्रभात खबर तथा दैनिक जागरण में संलग्न किये जा रहे निविदा को प्रकाशित कराने की कृपा प्रदान की जाय।

अनुलग्नक:— निविदा की प्रति-4

विश्वासभाजन

उपायुक्त, लातेहार।

समाहरणालय—लातेहार
(जिला सामाजिक सुरक्षा कोषांग)

निविदा आमंत्रण सूचना

लातेहार जिला के अर्न्तगत गरीबी रेखा से नीचे जीवन बसर करने वाले व्यक्तियों तथा गरीब, असहाय, अपंग, भिक्षुक, असहाय विधवाओं के बीच मुफ्त कम्बल विरण हेतु जिला स्तर पर सामाजिक सुरक्षा के अधीन कम्बल कय किया जाएगा जिसके लिए दिनांक 21.9.06 तक आपूर्ति कर्त्ताओं से निविदा निम्न शर्तों के साथ आमंत्रित किया जाता है। प्राप्त निविदा को जिला स्तरीय कय समिति के सदस्यों के समक्ष दिनांक 21.9.06 को 11.30 बजे पूर्वाहन में अधोहस्ताक्षरी के प्रकोष्ठ में खोला जायगा।

नियम एवं शर्तः—

1. निविदा 1के साथ अद्यतन विकी कर तथा आयकर भुगतान प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य है।
2. निविदा के साथ मां0 5000 रूपये का अग्रधन राशि का बैंक ड्राफ्ट उपायुक्त लातेहार के पदनाम से संलग्न किया जाएगा जिसे निविदा के पश्चात अस्वीकृत निविदा दाताओं को राशि वापस कर दिया जायगा।
3. आपूर्ति आदेश के पश्चात आपूर्ति कर्त्ताओं को अग्रिम देय नहीं होगा।
4. आपूर्ति कर्त्ता को आदेश निर्गत की तिथि से एक सप्ताह के अन्दर समान आपूर्ति करना अनिवार्य होगा। जिसके लिए अलग से परिवहन व्यय नहीं दिया जाएगा।
5. समय पर आपूर्ति नहीं करने के दिशा में अग्रधन की राशि जप्त करते हुए आवश्यक कानूनी कारवाई की जायगी।
6. एक से अधिक आपूर्ति कर्त्ताओं के बीच आपूर्ति आदेश देने का अधिकार अधोहस्ताक्षरी का होगा।
7. आपूर्ति कर्त्ता अपने साथ कम्बल का नमूना भी लायेगें तथा उसी के अनुरूप आपूर्ति करना होगा।
8. निर्धारित तिथि के पश्चात निविदा देने पर स्वीकार नहीं किया जायगा।
9. निविदा को स्वीकृत या अस्वीकृत करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरी का होगा जिसके लिए कारण स्पष्ट करना अनिवार्य नहीं होगा।

उपायुक्त, लातेहार।